आवश्यक विवरण–

1. उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। भवनों का निर्माण होने के दौरान आवंटन लाटरी द्वारा किया जाएगा। तद्नुसार निर्धारित मूल्य देय होगा। पंजीकरण धनराशि एवं किश्तों की मांग न्यूनतम अनुमानित लागत पर की गयी है। भवन का निर्माण कार्य 24 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा। सम्पत्ति के निर्धारित वर्तमान अनुमानित मूल्य में अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में वृद्धि होने आदि कारणों से मूल्य में बढोत्तरी सम्भव है।
2. भवनों के टाइप डिजाइन व ले आउट में आवश्कतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
3. योजना की भूमि में फ्री होल्ड चार्ज, पात्रता चयन तिथि का तत्समय प्रचलित भूमि दर पर देना होगा।
4. भवन की डिजाइन में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, जो आवंटी को मान्य होगा।
5. भवनों का विक्रय मूल्य अनुमानित है, परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार भवन का मूल्य देय होगा।
6. प्रत्येक आवंटी को भवन में समाहित भूमि का मूल्य, पात्रता चयन तिथि पर लागू भूमि दर के अनुसार देना होगा। भूमि मूल्य पर नियमानुसार फ्री होल्ड चार्ज अतिरिक्त देय होगा।
7. सर्विस टैक्स नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा, जिसका भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
8. यदि भविष्य में राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे वैट, जी. एस.टी. आदि आरोपित किया जाता है तो वह भी आवंटी पर बाध्यकारी होगा।